कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
बोर्ड चार्टर और कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा-निर्देश
CIN: U35201MH1990GOI223738

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय
बेलापुर भवन, सेक्टर - 11, प्लॉट नं.6, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई - 400614, महराष्ट्र

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.0	परिचय	2
2.0	बोर्ड की संरचना	3
3.0	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित निदेशक मंडल के अधिकार	3
3.1	अपनी बैठक में बोर्ड के अधिकार	3
3.2	बोर्ड के विशिष्ट अधिकार	3
3.3	बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिबंध	3
3.4	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के शक्तियों का प्रत्यायोजन	4
3.5	निदेशकों के कर्तव्य	4
3.6	निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां	5
4.0	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और व्यक्तिगत निदेशकों की जिम्मेदारियां	6
5.0	बोर्ड बैठकों की संख्या	10
6.0	बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए कार्य - सूची मदें	10
7.0	बोर्ड / समिति की बैठकों में, जिनमें वे शामिल हैं / वार्षिक शेयरधारकों की बैठक में उपस्थिति	11
8.0	व्यापार आचार संहिता और आचार नीति	11
9.0	बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए जाने वाला प्रकटीकरण / घोषणा	11
10.0	निदेशक अभिविन्यास/दिशा-निर्देश और शिक्षा	12
11.0	निदेशक का रिक्त कार्यालय	12
12.0	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिरक्षा	13
13.0	कानूनों का अनुपालन	13
14.0	जोखिम प्रबंधन	13

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
बोर्ड चार्टर और कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा-निर्देश

CIN: U35201MH1990GOI223738

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय/
बेलापुर भवन, सेक्टर - 11, प्लॉट नं.6, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई - 400614, महराष्ट्र

1.0 परिचय:

यह बोर्ड चार्टर अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट प्रशासन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निगम के निदेशक मंडल (इसके बाद निदेशक मंडल(बीओडी) के रूप में उल्लिखित) की संरचना,भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्याख्या करता है। इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (इसके बाद डीपीई के रूप में उल्लिखित) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं (इसके बाद सीपीएसई के रूप में उल्लिखित), दिशा-निर्देशों की धारा 3.5 इस प्रकार है: -

बोर्ड को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए "बोर्ड और प्रबंधन के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक होती है। बोर्ड के पास बोर्ड चार्टर का औपचारिक विवरण होना चाहिए जो: -

i)बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

ii) अपने बहुसंख्यक शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण (दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों और व्यापार जोखिम की सामान्य धारणा के भीतर) को स्पष्ट करता है। "

2.0 बोर्ड की संरचना:

बोर्ड की संरचना डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अनुच्छेद की धारा 65 (1), 65 (1) (सी) और 66 (1)सहित अन्य लागू कानूनों के अनुरूप होगी।

3.0 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बीओडी के अधिकार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179 (1) के अनुसार, निदेशक मंडल ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए और ऐसे सभी कार्यों और कृत्यों को करने का हकदार होगा, जैसा कि निगम कार्य करने के लिए प्राधिकृत है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या कंपनी के मेमोरेंडम या अनुच्छेद द्वारा निर्देशित या आवश्यक हो, या अन्यथा, आम बैठकों में कॉर्पोरेशन द्वारा कार्य किया जाना है, इसके अलावा बोर्ड किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य या कृत्य नहीं करेगा ।

3.1 अपनी बैठक में बोर्ड के अधिकार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179 (3) के तहत बोर्ड को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं जिनका प्रयोग बोर्ड द्वारा केवल उसकी बैठक में किया जाएगा, न कि परिपत्र या संकल्प द्वारा।

3.2 बोर्ड के विशिष्ट अधिकार:

कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अनुच्छेद की धारा 72 में निदेशक मंडल को विशेष अधिकार दिए गए हैं।

3.3 बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिबंध:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180, बोर्ड के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है और इन अधिकारों का प्रयोग जनरल बैठक की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

3.4 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(सीएमडी) और पूर्णकालिक निदेशकों के अधिकारों का प्रत्यायोजन:

कॉर्पोरेशन एसोसिएशन अनुच्छेद की धारा 68 (1) के तहत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। हालांकि, बोर्ड ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कुछ अधिकार सौंपे हैं।

3.5 निदेशकों के कर्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के तहत निदेशकों के कर्तव्यों को संहिताबद्ध किया है:

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निगम के निदेशक कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार कार्य करेंगे।
2. निगम का निदेशक, सदयों के सभी लाभ के लिए कॉर्पोरेशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ निगम, अपने कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हित में और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सदभावना से कार्य करेगा।
3. निगम का निदेशक उचित ध्यान रखते हुए कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा।
4. निगम का निदेशक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है, जो निगम के हित के विरुद्ध हो या जिससे संभवतः संघर्ष हो सकता है।
5. निगम के निदेशक को किसी भी अनुचित लाभ प्राप्त करने या लाभ को स्वयं या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों, या सहयोगियों द्वारा प्राप्त करने या उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए और यदि निदेशक ऐसे किसी भी अनुचित लाभ के लिए दोषी पाया जाता है तो वह निगम को उस लाभ के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
6. निगम का निदेशक अपने कार्यालय को निर्दिष्ट नहीं करेगा/कार्य नहीं सौंपेगा और ऐसा किया गया तो कोई भी कार्य वैध नहीं होगा / निरर्थक होगा।

7. यदि निगम का कोई निदेशक इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे निदेशक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, परंतु यह पांच लाख रुपए तक बढ़ भी सकता है।

3.6 निदेशक मण्डल(बीओडी) की जिम्मेदारियां:

निदेशकों की मूल जिम्मेदारी है कि उनके व्यावसायिक निर्णय लेना और निगम तथा उसके शेयरधारकों के हित में यथोचित कार्य करना । निदेशक हमेशा निगम और अन्य हितधारकों के साथ न्यासी और एजेंट के रूप में जिम्मेदारी की भूमिका में होते हैं। निदेशक निगम के वरिष्ठ अधिकारी और बाहर के सलाहकारों और लेखा परीक्षकों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर भरोसा करने के हकदार होंगे।

अपनी जिम्मेदारियों के अलावा निदेशक मंडल निम्न कार्य करेगा:

(क) निगम के लिए नियमित रूप से लंबी अवधि की योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन और अनुमोदन प्रदान करना।

(ख) निगम के बजट और पूर्वानुमानों की समीक्षा, मूल्यांकन और अनुमोदन प्रदान करना।।

(ग) प्रमुख संसाधन आबंटन और पूंजी निवेश की समीक्षा, मूल्यांकन और अनुमोदन प्रदान करना।।

(घ) निगम के वित्तीय और परिचालन परिणामों की समीक्षा करना।

(ङ) निगम की आचार संहिता का अनुपालन, कार्यान्वयन और निगरानी करना।

(च) सामाजिक दायित्व से संबंधित निगम के कॉर्पोरेट उद्देश्यों और नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करना।

(छ) जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के संबंध में निगम की नीतियों और पद्धतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करना।

4.0 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और व्यक्तिगत निदेशकों की जिम्मेदारियाँ:

I. पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक:

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के तहत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक भी हैं और वे अध्यक्ष / रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें निगम के प्रबंधन मामलों के पर्याप्त अधिकार होते हैं। वे निदेशक मंडल और रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। वे अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने और साथ ही निगम और रेल मंत्रालय, भारत सरकार के बीच प्रति वर्ष हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कार्य निष्पादन मापदंडों को प्राप्त करने तथा निगम के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें निगम के क्रियाशील निदेशक और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वे उन्हें उचित जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, उन जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा उन्हें सशक्त बना सकते हैं।

कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अनुच्छेद की धारा 79 में यह प्रावधान है कि बोर्ड बैठक की अध्यक्षता,राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करेंगे। इसके अलावा, कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अनुच्छेद की धारा 48 के अनुसार, निगम की प्रत्येक आम बैठक की अध्यक्षता निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

ख. निदेशक (वित्त):

निदेशक (वित्त) निदेशक मंडल के सदस्य होते हैं। साथ ही वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के तहत मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य वित्तीय अधिकारी होते हैं और वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे लेखा परीक्षा समिति के लिए स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। वे कोर टीम का एक हिस्सा होते हैं जो निगम के नीति निर्देशों के निर्माण से जुड़े होते हैं। वे एचआर संबंधी

नीतियों के निर्धारण, बांड जारी करके संसाधन जुटाना और पूंजीगत व्यय परियोजना के लिए वाणिज्यिक कागजात, ऋण सेवा प्रबंधन, उचित प्राप्ति के लिए भारतीय रेलवे की अन्य क्षेत्रीय रेलों से समन्वय तथा भारतीय रेलवे की अविभाजित (Apportionment) प्रणाली के रूप में यातायात अर्जन का लेखाकरण और सगठन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के गठन संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), कंपनी सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, मानव संसाधन और स्थापना (कार्मिक) तथा विधि विभागों के कार्य पर भी ध्यान देता हैं और उन्हें सीएमडी द्वारा कोई विशिष्ट कार्य/कार्यभार सौंपा जा सकता है। आम तौर पर, उन्हें सौंपे गए बुनियादी कार्यों को नहीं बदला जाएगा।

ग. निदेशक (रेलपथ एवं कार्य):

निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) निदेशक मण्डल के एक सदस्य हैं और वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे रेलपथ, स्टेशन भवनों, पुलों आदि के रख-रखाव के माध्यम से ट्रेन के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। वे रेलवे लाइन के अवसंरचनात्मक विकास और परियोजनाओं निष्पादन (भारत और विदेश में) के साथ-साथ विशेष तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने, परियोजना कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे नई परियोजनाओं के लिए विपणन और उनके सफल निष्पादन आदि के लिए जिम्मेदार हैं। वे आम तौर पर इंजीनियरिंग, स्टोर्स और परियोजना (भारत और विदेश में) कार्य देखते हैं और सीएमडी द्वारा किसी भी विशिष्ट कार्य / कार्यक्षेत्र उन्हें सौंपा जा सकता है। आम तौर पर उन्हें सौंपे गए बुनियादी कार्यों को नहीं बदला जाएगा।

घ) निदेशक (परिचालन एवं वाणिज्य):

निदेशक (परिचालन एवं वाणिज्य)निदेशक मंडल के एक सदस्य होते हैं और वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे गाड़ी संचालन और गाड़ी संचालन के वाणिज्य पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही वे भारतीय रेलवे और अन्य परिचालन प्रणाली में निगम के लिए वाणिज्यिक व्यापार के पूर्ण अन्वेषण के लिए जिम्मेदार हैं। व्यापार के नए अवसरों की पहचान, प्रणाली

में सुधार,संरक्षा आदि के लिए जिम्मेदार हैं। वे रेलपथ को छोड़कर सभी तकनीकी बुनियादी संरचनाओं के रख-रखाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। वे सामान्यत: वाणिज्य, परिचालन, यांत्रिक, सिगनल और दूरसंचार, विद्युत, संरक्षा और महत्वपूर्ण योजना और व्यवसाय विकास की देखभाल करते हैं सीएमडी द्वारा किसी भी विशिष्ट कार्य / कार्यक्षेत्र उन्हें सौंपा जा सकता है। आम तौर पर उन्हें सौंपे गए बुनियादी कार्यों को नहीं बदला जाएगा।

II. **अंशकालिक अधिकारी /सरकारी निदेशक :**

सरकार (केंद्रीय / भाग लेने वाले राज्यों) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेंगे और कंपनी की नीतियों को तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। वे अपनी संबंधित सरकार (केंद्रीय / भाग लेने वाले राज्यों) विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन / स्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

III. **अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) :**

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के सेबी विनियम, 2015(सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के अध्याय IV (सूचीबद्ध संस्थाओं की बाध्यता जिसने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है) के तहत विनियम 27 में परिकल्पित के अनुसार बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बोर्ड की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है।

उपरोक्त विनियम के अनुसार भारत सरकार, निगम के बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करती है। स्वतंत्र निदेशकों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्रियाशील निदेशकों से भिन्न होती हैं और वे मुख्य रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं। साथ ही वे अन्य बोर्ड समितियों में भी शामिल होते हैं जहाँ उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष / समिति सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

बोर्ड / बोर्ड समिति में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और उनकी उपस्थिति व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना और बोर्ड के सामने लाए गए मामलों में निष्पक्षता और स्वतंत्र जांच, विवेचन तथा निर्णय लेना है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड / बोर्ड समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

क) आम बैठकों और बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति :

क) आम बैठक :

लेखा परीक्षक समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और स्टेकहोल्डर्स संबंधी समिति के अध्यक्ष को शेयरहोल्डर्स के सवालों का जवाब देने के लिए आम बैठक में उपस्थित रहना चाहिए।

ख) बोर्ड की बैठक :

स्वतंत्र निदेशक को निदेशक मंडल / समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

(ख) गैर-सरकारी निदेशकों के कर्तव्य (स्वतंत्र निदेशक):

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए कर्तव्यों के अनुरूप बद्ध हैं।

(ग) गैर-सरकारी निदेशकों के लिए प्रशिक्षण (स्वतंत्र निदेशक):

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता के तहत निर्धारित कर्तव्यों में से एक यह है कि स्वतंत्र निदेशक उचित अधिष्ठापन का कार्य करेंगे और नियमित रूप से निगम से संबंधित अपने कौशल, ज्ञान और परिचितता को अद्यतन करेंगे। स्वतंत्र निदेशकों को संगठन के कामकाज से परिचित कराने के लिए निगम को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि उनकी भूमिका, अधिकार, जिम्मेदारियां और उद्योग का स्वरुप जो निगम द्वारा संचालित किया जाता, निगम का व्यवसाय प्रतिरुप इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(घ) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठके :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV की स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता का पैरा VII स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के लिए दिया गया है। गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक अलग बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। इस तरह की बैठकों का उद्देश्य निगम प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय का आकलन करना है जो बोर्ड को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है।

5.0 बोर्ड बैठकों की संख्या :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुपालन में, प्रति वर्ष कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित की जाएंगी और दो लगातार बैठकों के बीच का समय अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगा।

6.0 बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मद :

बोर्ड के अध्यक्ष / बोर्ड समितियां क्रमश: प्रत्येक बोर्ड / बोर्ड समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेंगे।प्रत्येक निदेशक / समिति के सदस्य कार्यसूची में मद को शामिल करने का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक निदेशक / समिति के सदस्य किसी भी बोर्ड / समितियों की बैठक में उन विषयों को शामिल के लिए स्वतंत्र हैं जो उस बैठक के कार्यसूची में नहीं हैं। प्रत्येक बोर्ड / बोर्ड समिति की बैठक के लिए लगभग सात दिन पहले निदेशकों / बोर्ड समितियों को विस्तृत कार्यसूची और सहायक दस्तावेजों तथा प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.0 बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति जिनमें वे कार्यरत हैं /वार्षिक शेयरहोल्डर की बैठकों में उपस्थितिः

बोर्ड बैठकों में निदेशकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिनमें वे कार्यरत हैं उन समितियों की बैठकें और वार्षिक/असाधारण(विशेष) आम बैठकों में भाग लें।

8.0 व्यावसायिक आचार संहिता और आचार नीतिः

निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता और आचार नीति निर्धारित करेगा।अनुमोदित बोर्ड कोड http://konkanrailway.com/uploads/pdfs/80_ CODE_ OF_ CONDUCT) पर प्रदर्शित किया गया है। सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे।

9.0 बोर्ड सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण :

क्र.सं.	संदर्भ	ब्यौरा	आवधिकता
1.	कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 184	हितों का प्रकटीकरण	• बोर्ड में शामिल होने के समय (तत्काल) • जब भी लाभ/हितों में परिवर्तन होते हैं; • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक
2.		अन्य निदेशक पद / समिति की सदस्यता के विवरणों का प्रकटीकरण	• बोर्ड में शामिल होने के समय पर; • जब भी विवरणों में परिवर्तन होने के समय पर;
3.	डीपीई - कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देश, 2010	व्यावसायिक आचारण और नीति संहिता के साथ वार्षिक पुष्टि का अनुपालन	प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर।

बोर्ड सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण/घोषणाएं की जानी हैं।

10.0 निदेशकों के लिए अभिविन्यास/दिशा-निर्देश और शिक्षा:

प्रबंधन अपने नए निदेशकों को निगम की रणनीतिक योजनाओं, इसकी वित्तीय योजनाओं, लेखा पद्धति और जोखिम प्रबंधन के मुद्दों, इसके अनुपालन कार्यक्रमों, इसकी आचार संहिता, वरिष्ठ प्रबंधन, आंतरिक, वैधानिक और सचिवीय लेखा परीक्षकों की जानकारी के साथ कानूनों के अनुसार निदेशकों के रूप में उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए एक प्रारंभिक दिशा-निर्देश /अभिविन्यास प्रदान करेगा।

निदेशकों की सुविधा के लिए उनकी शिक्षा जारी रखने और कॉर्पोरेशन के प्रत्येक निदेशक को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेशन के व्यवसाय संचालन और कॉर्पोरेट प्रशासन में नवीनतम विकास के ज्ञान बढ़ाने हेतु निदेशकों को प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाएगी:

(क) प्रौद्योगिकी और बाजार स्थिति सहित निगम के व्यावसायिक कार्यों को समझाने के लिए प्रस्तुतीकरण तैयार करना।

(ख) कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों और निगम के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों में नवीनतम विकास के लिए निदेशकों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों को एक्सेस करना, या नोटिस करना, जारी रखना।

(ग) क्षेत्रों और परियोजना स्थलों का आवधिक दौरा।

(घ) प्रमुख मुकदमों की स्थिति।

11.0 निदेशक का रिक्त कार्यालय:

कंपनी अधिनियम, 2013 के 167 (बी) के अनुसार, निदेशक बारह माह की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संपन्न सभी बैठकों में बोर्ड से छुट्टी मांगने पर या बिना मांगे अनुपस्थित रहता है तो निदेशक का कार्यालय उस स्थिति में रिक्त होगा ।

12.0 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिरक्षा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (12) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक और गैर-क्रियाशील निदेशक (प्रमोटर या केएमपी नहीं), को केवल निगम द्वारा चूक या कमीशन के ऐसे कृत्य के संबंध में उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जो उनकी जानकारी से हुआ था, जो बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से और उनकी सहमति या मिलीभगत के कारण हुआ था; या जहाँ उन्होंने पूरी लगन से काम नहीं किया था।

13.0 कानूनों का अनुपालन

बोर्ड समय-समय पर निगम के लिए लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और साथ ही गैर-अनुपालन को सुधारने के लिए कदम उठाएगा।

14. जोखिम प्रबंधन

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ संरेखित हो तथा जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करते हुए सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाना है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम नीति http://konkanrailway.com/uploads/pdfs/431_RISK_MANAGEMENT_POLICY.PDF पर उपलब्ध है।

****